

**इलाहाबाद उच्च न्यायालय**  
**लखनऊ**  
**जनहित याचिका संख्या – 169/2026**

कृष्ण कुमार

...याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

प्रमुख सचिव, पंचायती राज विभाग, लखनऊ एवं 6 अन्य

... प्रतिवादी (गण)

-----

याचिकाकर्ता (गण) के अधिवक्ता: – होम नारायण अवस्थी, सोनल त्रिपाठी

प्रतिवादी (गण) के अधिवक्ता :- मुख्य स्थायी अधिवक्ता

---

**न्यायालय संख्या – 1**

**माननीय न्यायमूर्ति राजन रॉय**

**माननीय न्यायमूर्ति अबधेश कुमार चौधरी**

1. याचिकाकर्ता की ओर से कोई उपस्थित नहीं है।
2. इस रिट याचिका द्वारा याचिकाकर्ता ने निम्नलिखित मुख्य अनुतोष के लिए प्रार्थना की है :-  
  
"परमादेश की प्रकृति में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी करते हुए विपक्षीगण, विशेष रूप से विपक्षी संख्या 2 से 5 को विपक्षी संख्या 6 और 7 द्वारा वर्ष 2021 से अब तक मात्र कागजी कार्रवाई दर्शा कर ग्राम पंचायत से आहरित राशि के भौतिक और तकनीकी सत्यापन हेतु जिला स्तरीय तकनीकी टीम गठित करने का निर्देश दिया जाए, और अन्वेषण के समय आवेदक को भी सूचित किया जाए, ताकि याचिकाकर्ता जांच में सहयोग कर सके।"  
  
3. यह आरोप विपक्षी संख्या 6 और 7 यानी खंड विकास अधिकारी, विकास खंड तेजवापुर, जिला बहराइच और सचिव ग्राम पंचायत बेहटाभया, विकास खंड तेजवापुर, जिला बहराइच के विरुद्ध हैं।
4. उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1947 की धारा 27 और धारा 95(1)(छ) सहपठित जो उत्तर प्रदेश पंचायत राज (प्रधानों, उप-प्रधानों और सदस्यों को हटाना) जांच नियमावली, 1997 का नियम 3 के अंतर्गत उपचार उपलब्ध हैं, जिनका लाभ उठाया जा सकता है, यदि कोई हेतुक उपलब्ध है।

**अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है एवं इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी एवं सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।**



5. तदनुसार याचिका निस्तारित की जाती है।

(न्यायमूर्ति अबधेश कुमार चौधरी) (न्यायमूर्ति राजन रॉय)

24 फरवरी, 2026

प्रवीण

Translated version. Not for legal use.

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है एवं इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी एवं सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।